

न्यायालय—श्रीमती वंदना राज पांडेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 550/2013
संस्थित दिनांक— 30.09.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र—ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

1. मनोज उर्फ किंग पिता श्यामलाल बलाई
आयु—20 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी,
निवासी ग्राम केरवां, तहसील अंजड
जिला बड़वानी
2. श्यामलाल पिता देवीलाल बलाई,
आयु—46 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी
निवासी ग्राम केरवां, तहसील अंजड
जिला बड़वानी
3. सुनील पिता बाबूलाल बलाई,
आयु—29 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी,
निवासी ग्राम मोहीपुरा, तहसील अंजड
जिला बड़वानी

.....आरोपीगण

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपीगण द्वारा	— श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

—: नि र्ण य :-
(आज दिनांक 14/10/2015 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरुद्ध थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 192/13 के आधार पर दिनांक 07.03.13 को शाम लगभग 7:30 बजे ग्राम केरवां में आहत निर्मल, पन्नालाल और ललिताबाई को लोकस्थान पर अश्लील गालियां देकर उन्हें एवं उसे सुनने वालों को क्षोभ कारित करना, फरियादी निर्मल को धारदार वस्तु ब्लेड से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित करना तथा निर्मल, पन्नालाल और ललिताबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उन्हें किसी सख्त अथवा बोथरी वस्तु से स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के लिये भा.द.सं. की धारा—294, 324, 323(3 शीर्ष) एवं 506(2) विचारणीय है ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि अभियोजन साक्षीगण आरोपी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.09.13 को शाम 7:30 बजे निर्मल अपने घर पर टी.वी. देख रहा था, उसके पिताजी पन्नालाल गांव में मटन लेने गये थे, उनका किसी बात पर अभियुक्त मनोज उर्फ किंग से झगड़ा हो गया था, मनोज ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट करने उसके पिताजी थाने चले गये, यह बात निर्मल को पता चलने पर वह गांव में गया, मनोज उर्फ किंग से पूछा कि क्या हो गया तो मनोज ने उसे नंगी-नंगी माँ, बहन की गालियां देकर थप्पड़, मुक्कों से मारपीट की, मनोज के पिता श्यामलाल एवं उसके घर पर आए मेहमान सुनील ने भी उसे माँ, बहन की अश्लील गालियां दीं तथा मारपीट की, मनोज और सुनील ने निर्मल को थप्पड़ से दाहिने कान पर मारा, मनोज उर्फ किंग के हाथ में ब्लेड थी, जो निर्मल ने उसके हाथ से छीन ली थी, झूमाझटकी में उसके सीधे हाथ की उंगली में चोट लगी थी, खून निकला था, निर्मल की माँ बीच-बचाव करने आई तो अभियुक्तों ने उसके साथ भी गालीगलौज कर मारपीट की तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी । घटना पटेल छोगालाल ने देखी। निर्मल की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 192/13 अंतर्गत धारा-294, 323, 506/34 का दर्ज कर विवेचना के दौरान आहतों का मेडिकल-परीक्षण किया गया, नक्शा-मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्तों पर भा.द.सं. की धारा-294, 324, 323 (3 शीर्ष), 506(2) के आरोप तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मसूद एहमद खान द्वारा लगाये जाने पर तथा भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों के कथन हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, फरियादी ने घटना की झूठी रिपोर्ट की गयी है, लेकिन अभियुक्तों ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी निर्मल (अ.सा.1), ललिताबाई (अ.सा.2), पन्नालाल (अ.सा.3), डॉ. महेश वर्मा (अ.सा.4), ओ.पी. यादव (अ.सा. 5) का परीक्षण कराया गया है ।

6. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 07.09.13 को शाम 7:30 बजे ग्राम केरवा में आहत निर्मल, पन्नालाल और ललिताबाई को लोकस्थान पर अश्लील गालियां देकर उन्हें, सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आरोपी मनोज ने फरियादी निर्मल को धारदार उपकरण ब्लेड से मारकर स्वैच्छ्या उपहति कारित की, जिसमें अन्य अभियुक्तों ने उसे सहयोग प्रदान किया ?

3	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर निर्मल, पन्नालाल और ललिताबाई के साथ मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की ?
4	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर निर्मल, पन्नालाल एवं ललिताबाई को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी निर्मल (अ.सा.1) का कथन है कि घटना दिनांक 07.09.13 को शाम लगभग 8:00 बजे वह अपने घर पर टी. वी. देख रहा था, उसके पिता पन्नालाल अभियुक्त मनोज उर्फ किंग के मकान तरफ गये हुए थे, उसके पिता व अभियुक्त मनोज उर्फ किंग का विवाद हो गया था, तब उसने बीच-बचाव किया था, उसके पिता घर आए थे और वहीं से सीधे थाने गये थे । वह अपने घर के बाहर खड़ा था तब मनोज उर्फ किंग आया था उसके साथ मारपीट की, अभियुक्त मनोज के मामा का पुत्र सुनील भी आया और उसने भी मारपीट की, अभियुक्त मनोज के हाथ में ब्लेड थी, जो उसने अभियुक्त से छीन ली थी, थाना ठीकरी पर दी थी। उसे कान में, दाहिने हाथ की अंगुली में चोट आई थी, उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी, जो प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका इलाज ठीकरी अस्पताल पर हुआ था, उसने पुलिस को प्र.पी.2 का घटनास्थल बताया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मनोज ने उसके दाहिने कान पर थप्पड़ मारा था और मनोज के हाथ में जो ब्लेड थी, उससे झूमाझटकी में उसके दाहिने हाथ की अंगुली में चोट लगी थी और खून निकला था । अभियुक्तों ने उसकी माँ ललिताबाई के साथ भी जब वह बीच-बचाव करने आई थी, तब मारपीट की थी ।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह कक्षा आठवीं तक पढ़ा है और जब मोहल्ले के बच्चे चिल्लाचोट कर रहे थे कि निर्मल के पिताजी को मार रहे हैं, तब वह गया था । यह सही है कि किस व्यक्ति ने उसके पिता के साथ विवाद की घटना बतायी थी, उसका नाम वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिताजी रिपोर्ट लिखाने गये थे । उसके पिताजी के साथ विवाद शाम लगभग 6 बजे हुआ था और उसके साथ विवाद रात में लगभग 8 बजे हुआ था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिताजी बाजार में घूमने गये थे और उसके पिताजी शराब पीते हैं, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि घटना वाले दिन उसके पिताजी शराब पीये हुए नहीं थे । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में दिन छोटे होते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन 8 बजे अंधेरा हो गया था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल आम रास्ता है, लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि वह ब्लेड लेकर घर से बाहर निकला था । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसके पिताजी ने बताया था कि उनका विवाद हुआ है और थाना ठीकरी पर रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जहां विवाद हुआ था, वहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने ब्लेड उससे जप्त की थी और अभियुक्त में से कोई भी ब्लेड लेकर थाने

नहीं गया था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि छोगालाल रिश्ते में उसका मामा लगता है और गांव में थोड़ी सी भी बोलचाल होने पर 100-200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी और इसी कारण से स्थानीय गांव के लोगों के नाम नहीं बताये थे, साक्षी ने उसका स्पष्टीकरण यह दिया है कि वह ग्राम मंडवाड़ा रहता है, घटनास्थल उसके मामा का गांव है, इसलिए उसे ग्राम के लोगों के नाम की जानकारी नहीं है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह ग्राम केरवां दो-तीन वर्ष के लिये रहने गया था और मकान के आसपास रहने वाले अन्य व्यक्तियों को पहचानता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के एक वर्ष पहले से उसके परिवार और मनोज के परिवार की बोलचाल बंद है और अभी भी बंद है, लेकिन साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि रंजिशवश उसने अभियुक्तों की झूठी रिपोर्ट की है तथा अभियुक्तों ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है ।

9. साक्षी ललिताबाई (अ.सा.2), पन्नालाल (अ.सा.3) ने भी घटना दिनांक को अभियुक्तों द्वारा निर्मल के साथ मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं । पन्नालाल (अ.सा.3) का यह भी कथन है कि अभियुक्त मनोज ने उसे पीछे से लात मारी थी, जिससे वह नीचे गिर गया, तब अभियुक्त ने उसके साथ लात-मुक्कों से मारपीट की, घटनास्थल पर मनोज के पिता श्यामलाल और उसकी माँ भी आ गये थे, वह घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने ठीकरी गये थे और रात लगभग 9 बजे घर पहुँचा था, तब उसे गांव के लोगों ने बताया था कि अभियुक्त मनोज उर्फ किंग ने उसकी पत्नी ललिताबाई और पुत्र निर्मल के साथ मारपीट की थी, तब वह अपनी पत्नी व पुत्र के साथ थाने पर रिपोर्ट करने नहीं गया था । अभियोजन का सुझाव साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त मनोज ने निर्मल के दाहिने कान पर थप्पड़ मारे थे, अभियुक्त मनोज के हाथ में ब्लेड थी, जिसे छुड़ाने में निर्मल की अंगुली में चोट आई थी ।

10. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में पन्नालाल (अ.सा. 3) ने स्वीकार किया है कि न्यायालय में कथन देने आया है तो अपने साथ उसके द्वारा उसके पुत्र द्वारा की गयी रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आया है और उसने रिपोर्ट को पढ़ा भी है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह ग्राम केरवां में लगभग 5 वर्ष से रहा रहा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी अभियुक्तों के परिवार से रंजिश है या बोलचाल बंद है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसकी अदम चेक लिखी थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि गांव में विवाद होने में भीड़ इकट्ठा हो जाती है । घटना के समय 100-150 व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उनके साथ कोई घटना नहीं हुई थी अथवा उसने अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट की है अथवा उनके साथ कोई घटना नहीं हुई है ।

11. ललिताबाई (अ.सा.2) का कथन है कि मनोज उर्फ किंग के मामा का लड़का सुनिल आया था और उसने उसके पुत्र निर्मल के साथ मारपीट शुरू कर दी थी । वह बीच-बचाव करने गयी थी, तब अभियुक्त सुनिल ने उसके साथ भी मारपीट की थी । अभियुक्त मनोज के हाथ में ब्लेड थी, जो निर्मल छुड़ा रहा था, तब ब्लेड उसके हाथ की अंगुली में लग गयी थी, जिससे उसे खून निकला था । निर्मल को सुनील ने कान पर थप्पड़ मारा था । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसने अपना ईलाज नहीं कराया । बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उनके मकान के आसपास काफी व्यक्तियों के मकान हैं

और उसमें लोग रहते हैं । वह अपने भाई के मकान के सामने रहती है । उसके भाई से उसकी बोलचाल बंद है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन भीड़ इकट्ठा हो गयी थी, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं आया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट लिखाने वह उसके पुत्र के साथ गयी थी और उसका पुत्र थाने पर ब्लेड लेकर गया था और पुलिस को जप्त करायी थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व उसके परिवार की एवं अभियुक्त के परिवार की बोलचाल बंद हैं एवं आपस में रंजिश है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तों से रंजिश होने के कारण वह असत्य कथन कर रही है ।

12 डॉ. महेश वर्मा (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 07.09.13 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आहत निर्मल पिता पन्नालाल आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम केरवां को पुलिस आरक्षक संजय शर्मा द्वारा लाने पर उसे एक चोट कटा हुआ घांव 4X1X1 से.मी. दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली पर होना पाया था, जो तीखी एवं कठोर वस्तु से आना प्रतीत होता था तथा आहत को दाहिने कान से खून बह रहा था, आहत ने ठीक से सुनायी नहीं देने की शिकायत की थी । आहत ने उसके दाहिने कान पर नीचे से मारकर पहुँचाना बताया था, उक्त चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी । आहत को कान की चोट के ईलाज के लिये जिला चिकित्सालय बड़वानी नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ के पास भेजा था । उक्त दोनों चोटें परीक्षण से 2 घंटे के भीतर की साधारण प्रकृति की थी । साक्षी ने उसकी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.6 और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आहत का ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया था, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने की कोई उम्र नहीं होती है । यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर कम हो जाए और उसे चक्कर आने पर गिर जाए तो उक्त दोनों चोटें आना संभव है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत की पीठ पर चोट के कोई निशान नहीं थे । उक्त चोट क्रमांक 1 स्वयं द्वारा कारित भी हो सकती है और चोट क्रमांक 2 किसी सख्त जमीन पर गिरने से आना संभव है, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से आहत निर्मल (अ.सा.1) को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उसके द्वारा चोट स्वयं द्वारा कारित की गयी थी अथवा उसे गिरने से कान के पास की चोट आई थी, ऐसी स्थिति में डॉ. महेश वर्मा (अ.सा.4) की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है ।

13 ओ.पी. यादव (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 07.09.13 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 192/13 की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल ग्राम केरवां में फरियादी के बताये अनुसार प्र.पी.2 का नक्शामौका बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने फरियादी निर्मल, साक्षी ललिताबाई, पन्नालाल और छोगालाल के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे । उसने आरोपी मनोज उर्फ किंग के पेश करने पर एक ब्लेड सुपरमैक्स कंपनी की प्र.पी.7 के अनुसार जप्त की थी । उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी निर्मल थाने पर ब्लेड लेकर आया था तथा उसने प्र.पी.7 का जप्ती पंचनामा गलत बनाया है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर बिजली के पोल एवं विद्युत व्यवस्था का उल्लेख उसने नहीं किया है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि फरियादी एवं साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने उनके कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कर लिये हैं । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह असत्य कथन कर

रहा है ।

14. आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि फरियादी पक्ष ने अभियुक्तों से पूर्व की रंजिश होना स्वीकार किया है, इस कारण फरियादी पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है, उनका यह भी तर्क है कि घटनास्थल पर अंधेरा होना साक्षियों ने स्वीकार किया है तथा किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना शंकास्पद हो जाती है तथा डा. महेश वर्मा (अ.सा.4) ने आहत निर्मल को आई चोट को स्वयं द्वारा कारित होना एवं गिरने से आना संभावित होना बताया है । उनका यह भी तर्क है कि साक्षी निर्मल (अ.सा.1) तथा ललिताबाई (अ.सा.2) द्वारा ब्लेड निर्मल द्वारा थाने पर पुलिस को जप्त कराना बताया है, जबकि ओ.पी. यादव (अ.सा.5) ने उक्त ब्लेड आरोपी मनोज से जप्त करना बताया है, ऐसी स्थिति में साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास हैं ।

15. यह सही है कि फरियादी पक्ष ने अभियुक्तों से पूर्व से बातचीत बंद होना और रंजिश होना स्वीकार किया है, लेकिन उक्त मारपीट की घटना रंजिशवश होना ही पन्नालाल (अ.सा.3) के कथनों से प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त साक्षी पन्नालाल (अ.सा.3) का यह कथन है कि उसने आरोपी मनोज को कहा था कि अलग-अलग रहने में अच्छा नहीं लगता है, इकट्ठा रहने में अच्छा लगता है, तब अभियुक्त ने उसे पीछे से लट्ट मारा, जिससे वह नीचे गिर गया, इस प्रकार स्पष्ट है कि पन्नालाल (अ.सा.3) ने पुराने झगड़े के संबंध में अभियुक्त मनोज से बातचीत की तब अभियुक्त ने उससे सख्त व बोथरी वस्तु लात व मुक्कों से मारपीट की थी, जहां तक किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराने का प्रश्न है, वहां साक्षियों ने स्पष्ट किया है कि अन्य कोई व्यक्ति घटना पास से देखने नहीं आया था, अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर पहले पन्नालाल (अ.सा.3) और उसके बाद निर्मल (अ.सा.1) तथा बीच-बचाव करने आई ललिताबाई के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु हाथ-मुक्कों से एवं थप्पड़ से मारने के संबंध में उक्त साक्षियों के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है, यद्यपि ललिताबाई (अ.सा.2) व पन्नालाल (अ.सा.3) का मेडिकल-परीक्षण नहीं कराया गया है, लेकिन साक्षियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना ईलाज नहीं कराया है । इस घटना की रिपोर्ट निर्मल (अ.सा.1) द्वारा घटना के तत्काल बाद थाना ठीकरी में करायी गयी, जहां से उसे मेडिकल-परीक्षण के लिये ठीकरी अस्पताल भेजा गया, जहां डा. महेश वर्मा (अ.सा.4) ने निर्मल का परीक्षण किया था, उसे दाहिने कान में खून बहने और उसके द्वारा घूसे मारकर पहुंचाने के संबंध में डाक्टर को बताया गया है । साक्षी ने कान की चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना भी बताया है । जहां तक घटनास्थल पर अंधेरा होने का प्रश्न है, वहां बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षियों को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि अंधेरे में साक्षीगण अभियुक्तों को नहीं देख पाये थे, अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने आहत साक्षी के साथ मारपीट की है, ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त अभिवाक भी स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है ।

16. ओ.पी. यादव (अ.सा.5) ने इस घटना की विवेचना के दौरान नक्शामौका बनाया है और साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये हैं, जिसका कोई खंडन बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है । अभियुक्तों के द्वारा पुरानी रंजिश की बात को लेकर पन्नालाल (अ.सा.3), निर्मल (अ.सा.1) तथा बीच-बचाव करने आई ललिताबाई (अ.सा.2) के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु हाथ, मुक्कों से मारपीट किये जाने के संबंध में

अभियोजन साक्षियों के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण से नहीं हुआ है ।

17. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर साक्षी निर्मल, पन्नालाल एवं ललिताबाई के साथ सख्त एवं बौथरी वस्तु हाथ, मुक्कों से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की, जो कि भा.द.सं. की धारा-323 का आधार है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त मनोज उर्फ किंग, अभियुक्त श्यामलाल और सुनील उक्त आहत साक्षियों के विरुद्ध किये गये अपराधों के लिये भा.द.सं. की धारा-323 के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित करता है ।

18. जहां तक भा.द.सं. की धारा-324 के अपराध का प्रश्न वहां निर्मल (अ.सा.1) का कथन है कि उसने अभियुक्त मनोज के हाथ से ब्लेड छीन ली थी, और उसकी झुमाझटकी में उसके दाए हाथ की अंगुली में चोट लगी थी और खून निकला था । ललिताबाई (अ.सा.2) का भी कथन है कि अभियुक्त मनोज से निर्मल ब्लेड छुड़ा रहा था, तब ब्लेड उसके हाथ की अंगुली में लग गयी थी, जिससे उसे चोट लगकर खून निकला था । पन्नालाल (अ.सा.3) ने भी यही कथन किया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त मनोज उर्फ किंग ने धारदार वस्तु ब्लेड से मारकर निर्मल (अ.सा.1) को स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की । यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि शेष अभियुक्तों ने मनोज उर्फ किंग के साथ मिलकर निर्मल को धारदार वस्तु ब्लेड से मारने का सामान्य आशय निर्मित किया, ऐसी स्थिति में भा.द.सं. की धारा-324 का अपराध आरोपी मनोज उर्फ किंग तथा शेष अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-324/34 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है । अतः उक्त धारा से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 4 :-

19. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में निर्मल (अ.सा.1) ने अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.1 की रिपोर्ट में लिखाया था कि अभियुक्तों ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी थी, लेकिन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी । अभियोजन साक्षियों का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा उन्हें लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर संत्रास कारित किया गया था तथा वे भयभीत हुए थे ।

20. भा.द.सं. की धारा-294 एवं 506(2) का अपराध प्रमाणित नहीं होता है । अतः उक्त धाराओं के आरोप से अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

21. चूंकि अभियुक्तों को भा.द.वि. की धारा-323 में दोषसिद्ध ठहराया गया है, प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध को देखते हुए अभियुक्तों को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

पुनश्च:

22. सजा के प्रश्न पर अधिवक्ता एवं आरोपीगण को सुना गया, उनका निवेदन है कि मामूली विवाद में यह घटना घटित हुई है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण ने विचारण का शीघ्रता से सामना भी किया है।

23. अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं और उनके द्वारा विचारण का शीघ्रता से सामना किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय मनोज उर्फ किंग, श्यामलाल पिता देवीलाल, सुनील पिता बाबूलाल को भा.द.सं. की धारा-323 (3 शीर्ष) में दोषी ठहराते हुए 3-3 बार न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500/-रुपये 1,500 प्रत्येक के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिन के कारावास से दण्डित किया जाता है।

24. अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रुपये 500-500/-रुपये आहत/फरियादी निर्मल, पन्नालाल, ललितबाई को अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जाये। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25. अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये।

26. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलंब निःशुल्क दी जाये।

27. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ब्लेड मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.